<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>11.03.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 11/03/2025 को 1.6 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मोहाली, पंजाब में स्थित लगभग 500 वर्ग गज भूमि और मेसर्स आईटीएफटी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमन शर्मा के नाम पर पंजीकृत उक्त भूमि पर निर्माण शामिल है।

मेसर्स आईटीएफटी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड न्यू चंडीगढ़ स्थित आईटीएफटी एजुकेशन ग्रुप चला रहा था। अमन शर्मा और उनके पिता गुलशन शर्मा मेसर्स आईटीएफटी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड में एकमात्र निदेशक थे। आईटीएफटी एजुकेशन ग्रुप, न्यू चंडीगढ़ ने हिमाचल प्रदेश के एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (पीएमएसएस) के तहत छात्रवृत्ति के लिए दावा किया था।

ईडी ने हिमाचल प्रदेश के एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए पीएमएसएस के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय (डीओएचई), शिमला द्वारा छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितता के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो, शिमला द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि इन संस्थानों ने उन छात्रों के विवरणों का सत्यापन करके धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी, जो इन संस्थानों में किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं थे और जो अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही संस्थान छोड़ चुके थे।

इसके अलावा, धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति निधि की अधिक राशि प्राप्त करने के लिए, छात्रों के गलत विवरण एचपी-ई पास पोर्टल (डीओएचई, शिमला के छात्रवृत्ति पोर्टल) पर अपलोड किए गए थे, जिसके तहत बाद के वर्षों में छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया; बाद के वर्षों में छात्रों की जाति श्रेणी में बदलाव किया गया; छात्रों को डे स्कॉलर के बजाय छात्रावास में रहने वाले के रूप में दिखाया गया और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए फर्जी पाठ्यक्रम शुल्क संरचना का दावा किया गया। अपराध में शामिल विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार प्राप्त अपराध के आगमों (पीओसी) का उपयोग उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर चल और अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए किया गया।

इससे पहले मामले में, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अपराध-संकेती सामग्री, लगभग 80 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई थी और विभिन्न बैंक खातों में पड़े 2.80 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए थे। इसके अलावा, 29 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए पहले अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए गए थे। इसलिए, इस मामले में चल और अचल संपत्तियों की कुल अनंतिम कुर्की अब 30.5 करोड़ रुपये (लगभग) हो गई है। इसके अलावा, गुलशन शर्मा को धन शोधन के अपराध का दोषी मानते हुए इस मामले में 30.01.2025 को गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच जारी है।